न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 119/2019

–:: प्रार्थीगण ::– बनाम –:: अप्रार्थी ::–

1. ताराचंद पुत्र खींयाराम
2. सुरेन्द्रकुमार पुत्र रूपाराम
3. भागीरथसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह पुत्र रूपाराम
4. नारायण पुत्र बालु
5. प्रकाश पुत्र देवाराम
6. महिपाल पुत्र देवाराम
7. सुगनीदेवी पत्नी देवाराम
8. नाथूराम पुत्र मंगलाराम
9. दुर्गाराम पुत्र मंगलाराम
10. कपिल पुत्र मंगलाराम
11. गेकूड़ी पत्नी मंगलाराम
12. पोकरराम पुत्र बालुराम

जातियान–जाट निवासीगण–बांझाकुड़ी
तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।

1. तहसीलदार साहब, जैतारण जिला–पाली राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.23/07/2019

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सरकारी पैरोकार,तहसीलदार, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 11/12/2019**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का राजस्व मौजा सरहद मोजा बांझाकुड़ी पटवार हल्का बांझाकुड़ी तहसील–जैतारण जिला–पाली के खाता संख्या 09 खसरा नंबर 220, 220/1085, 221, 222, 245, 246, 247, 248, 344, 345, 346, 347, 348 कुल खसरा 13 कुल रकबा 100 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही दोयम व गै.मु. भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि स्थित है। ऊपर वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से व शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते है। प्रार्थीगण की उक्त भूमियां पैतृक होने से मौके पर मांठे व पालिये स्थित है परन्तु प्रार्थीगण के मौके पर किसी के ज्यादा व किसी के कम भूमि स्थित है। इसलिए प्रार्थीगण श्रीमान तहसीलदार, जैतारण को वादग्रस्त भूमि का सीमाकन करने बाबत प्रार्थना पात्र दिया। जिसका पटवारी पटवार हल्का बांझाकुड़ी ने मौका फर्द दिनांक 21.06.2019 की तैयार तो की परन्तु केवल मात्र कागजी कार्यवाही की मौके पर कोई नापचौप या पत्थरगड्डी या सीमांकन आदि नहीं करवाया गया जिससे मौके पर विवाद की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। पक्षकारान अपनी कृषि भूमि का मौके पर नापचौप कर सीमाकंन करवाकर तथा मौके पर पत्थरगड्डी रूपवाकर अपने अपने हिस्से में तारबन्दी करवाना

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

चाहते है ताकि पक्षकारान की भूमि पर भूमि का सही सीमांकन हो सके तथा मौके पर खेतों में आवारा पशुओं के नुकसान से बचाया जा सके। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि प्रार्थीगण की पैरा संख्या एक में वर्णित भूमि खाता संख्या 09 खसरा नंबर 220, 220/1085, 221, 222, 245, 246, 247, 248, 344, 345, 346, 347, 348 कुल खसरा 13 कुल रकबा 100 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही दोयम दोयम व गै.मु. का मौके पर पक्षकारान को नोटिस देकर रूबरू पक्षकारान सीमाकंन कर मौके पर मुड्डे रूपवाकर पत्थरगड्डी करवाकर अलग अलग सीमांकन किया जावे तथा अलग अलग भूमियों में सीमाकंन कर तारबन्दी की जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी संवत 2073-2076 में खसरा नंबर 220, 220/1085, 221, 222, 245, 246, 247, 248, 344, 345, 346, 347, 348 कुल खसरा 13 कुल रकबा 100 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही दोयम दोयम व गै.मु. वादीगण की सहखातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि है जो सही है। यह सही है कि पटवार हल्का बांजाकुड़ी द्वारा उपरोक्त खसरों का सीमाज्ञान श्रीमान तहसीलदार साहब जैतारण के आदेशानुसार सीमांकन किया गया। प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से हिस्से की भूमि की पत्थरगड्डी करवाना चाहते है परन्तु मौके अनुसार राजस्व रेकर्ड में विधिक बंटवाड़ा नहीं होने से वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष करना उचित नहीं है। उपरोक्त खसरों के समस्त सहखातेदारों द्वारा विधिक विभाजन करवाने के पश्चात ही अपने-अपने हिस्से की भूमि की पत्थरगड्डी करना उचित होगा।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई एवं इस पर मनन किया। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना-पत्र के संलग्न जमाबन्दी संवत् 2073-2076 ग्राम-बांजाकुड़ी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारान की संयुक्त अविभाजित आराजी है, तथा खातेदारान एवं प्रार्थीगण अपने हिस्से के अनुसार उक्त आराजी का सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाए जानें की प्रार्थना की है। अप्रार्थी एवं तहसीलदार, जैतारण ने जवाब प्रार्थना पत्र में ऐसी अविभाजित संयुक्त सहखातेदारी की आराजी का बिना विभाजन कराए मौके अनुसार सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करवाना विधिसंगत नहीं माना है। भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 में भी शामलाती आराजी के सहखातेदारान के मध्य बिना विभाजन करवाए मौके एवं हिस्से अनुसार पत्थरगढ़ी करवाए जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जानें योग्य नहीं है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा-128 राजस्थान, भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सारहीन होनें एवं बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 11/12/2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.20 16:07:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: